कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 दिनांक 12/03//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 11.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01-जनपद गाजीपुर में आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी में गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
तस्करी से बिहार भेजी जा रही 50 पेटी में 432 लीटर अवैध अग्रेजी शराब बरामद जिसकी किमत कुल लगभग 05 लाख रुपये
लग्जरी कार में फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर अवैध शराब छिपा कर ले जा रहे थे तस्कर
पुलिस ने दो सातिर तस्करों को माल मय वाहन व तलाशी से 12 बोर देशी तमन्चा व कारतूस 12 बोर के साथ किया गिरफ्तार
थाना बरेसर , स्वाट/सर्विलांस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे मिली बड़ी सफलता
रेवाड़ी राजस्थान से शराब तस्कर लेकर आ रहा था अवैध अग्रेजी शराब
पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर ने की 15,000/- रुपये देने की घोषणा की

गाजीपुर: रेवाड़ी राजस्थान से लाकर गाजीपुर के रास्ते बिहार ले जा रहा था। शराब का खेप गाजीपुर पुलिस की सक्रियता से बरामद कर लिया गया। पुलिस नें शराब की तस्करी करने वाले दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम मोरहना थाना गभाना जिला अलीगढ़ उम्र 40 वर्ष के पास से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय दो अदद जिन्दा करतूस 12 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे अभियुक्त आलोक यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम पुर थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष। पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस

पूछताछ कर रही है और शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंघाल रही है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर श्री ओमवीर सिंह ने थाना बरेसर , स्वाट/सर्विलांस टीम की सयुक्त की सफलता पर 15,000/- रुपये पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है।

घटना क्रम के मुताबिक पुलिस अधीक्षक गाजीपुर श्री ओमवीर सिंह के द्वारा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश पर लगे प्रभारी बरेसर शैलेन्द्र प्रताप सिंह व स्वाट/सर्विलांस टीम को सूचना मिली की कुछ लोग अवैध शराब लादकर कासिमाबाद की तरफ से सर्विस रोड (पूर्वांचल एक्सप्रेस वे) पकड़कर आ रहे हैं जो बिहार की तरफ जायेंगे। सूचना पर एक्सन में आयी पुलिस टीमों नें जब चार पहिया वाहन को रोका तो वह अपने वाहन को पुलिस वालों को एकाएक देखकर कार को रोककर दरवाजा खोलकर भागना चाहे तो पुलिस ने घेरा बन्दी कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डर पास बरेसर सर्विस रोड बहद ग्राम मलिकपुरा बरेसर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास से पकड़ लिया अभियुक्तो की पहचान अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम मोरहना थाना गभाना जिला अलीगढ़, अभियुक्त आलोक यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम पुर थाना पकड़ी जनपद बलिया पकड़े गये। पकड़े व्यक्तियों के कब्जे से 50 पेटी जिसमें 462 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब, एक अदद कार, एक अदद तमन्चा 12 बोर व दो अदद कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरेसर पर मु0अ0सं0 28/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 05 लाख रुपये है।

पूछताछ विवरण – बिहार जाना था माल पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ पर अभियुक्त प्रमोद कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कार में छिपा कर अवैध शराब रखा था तथा अपने सुरक्षा के लिये तमंचा भी अपने पास रखता हूँ। मैं कई बार पहले भी जेल जा चुका हूँ। ये जो मेरे साथ दूसरा व्यक्ति आलोक यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम पुर थाना पकड़ी जनपद बलिया मेरे साथ है। ये बिहार व यूपी बार्डर का है। इसके साथ मैं शराब तस्करी कर बिहार ले जाकर ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। जिससे लाभ प्राप्त कर घर चलाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता/ आपराधिक इतिहास

प्रमोद कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम मोरहना थाना गभाना जिला अलीगढ़ उम्र 40 वर्ष –

1. मु0अ0सं0 135/2019 धारा 3/25 आ0अधि0 थाना जवां जनपद अलीगढ़
2. मु0अ0स0 164/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 96/2019 धारा 328,392,411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
4. मु0अ0सं0 6684/2022 धारा 135 भा0विद्युत अधि0 थाना एंटी पावर थेफ्ट आगरा
5. मु0अ0सं0 28/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम

अभियुक्त आलोक यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम पुर थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 28/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- दिनांक 10.03.24 समय 19.30 बजे

गिरफ्तारी का स्थान- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डर पास बरेसर सर्विस रोड बहद ग्राम मलिकपुरा बरेसर

विवरण बरामदगी – 50 पेटी अवैध अग्रेजी शराब (432 लीटर अवैध शराब) , एक अदद चार पहिया वाहन , एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस

02. थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा मारपीट में घायल मजरूब की मृत्यु हो जाने पर मु0अ0सं0 33/24 धारा 323/504/506/304 भादवि0 से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र दिलदारनगर के ग्राम दिलदारनगर गाँव मे दिनांक 10.03.2024 को समय 17.00 बजे मारपीट हुई वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2024 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ जिसमे मजरूब शिवम शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी दिलदारनगर गाँव थाना दिलदारनगर गाजीपुर की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 304 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. चन्दन शर्मा ,नन्दन शर्मा,कुन्दन शर्मा पुत्रगण जितेन्द्र शर्मा निवासीगण दिलदारनगर गाँव थाना दिलदारनगर गाजीपुर को समय 05.35 बजे प्रातः रेलवे स्टेशन दिलदारनगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. चन्दन शर्मा 2.नन्दन शर्मा 3.कुन्दन शर्मा पुत्रगण जितेन्द्र शर्मा निवासीगण दिलदारनगर गाँव थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का विवरणः-

गिरफ्तारी का समय 05.35 बजे

गिरफ्तारी का दिनांक 11.03.24

गिरफ्तारी का स्थान – , रेलवे स्टेशन दिलदारनगर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर